न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)
(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्याः— 145 / 2019
निर्णय दिनांकः— 06 .01.2021

उनवान

हरिनारायण पुत्र पाचूलाल जाति बैरवा निवासी गोपालपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक —प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0) —प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः— 1. श्री हरिराज सिंह वकील प्रार्थी
2.पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः—

यह कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 162 कुल किता 4 कुल रकबा 0.73 है0 ग्राम कल्याणपुरा, खाता संख्या 38 कुल किता 13 कुल रकबा 1.53 है0 ग्राम कल्याणपुरा, खाता संख्या 107 कुल किता 5 कुल रकबा 1.44 है0 ग्राम गुदलियां, खाता संख्या 92 कुल किता 8 कुल रकबा 1.64 है0 ग्राम गुदलियां, खाता संख्या 59 कुल किता 1 कुल रकबा 2.15 है0 ग्राम गोपालपुरा, खाता संख्या 57 कुल किता 3 कुल रकबा 2.12 है0 वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील उनियारा मे स्थित है। प्रार्थी का सही नाम हरिनारायण बैरवा पुत्र पाचूलाल बैरवा है, जो कि प्रार्थी के आधार कार्ड , फोटो पहचान पत्र व ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र इत्यादि में अंकित है। परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम सहवन से नारायण पुत्र पाचू, हरनारायण पुत्र पांचू दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थी उक्त आराजी की कृषि उपज समर्थन मूल्य में विकय करने,कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 162 कुल किता 4 कुल रकबा 0.73 है0 ग्राम कल्याणपुरा, खाता संख्या 38 कुल किता 13 कुल रकबा 1.53 है0 ग्राम कल्याणपुरा, खाता संख्या 107 कुल किता 5 कुल रकबा 1.44 है0 ग्राम गुदलियां, खाता संख्या 92 कुल किता 8 कुल रकबा 1.64 है0 ग्राम गुदलियां, खाता संख्या 59 कुल किता 1 कुल रकबा 2.15 है0 ग्राम गोपालपुरा, खाता संख्या 57 कुल किता 3 कुल रकबा 2.12 है0 वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील उनियारा मे जिला टोंक में प्रार्थी का नाम नारायण पुत्र पाचू,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा, जिला टोंक

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

हरनारायण पुत्र पाचू के स्थान पर हरिनारायण बैरवा पुत्र पांचूलाल बैरवा अंकित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि बिन्दु संख्या 2 मे वर्णित व्यक्ति नारायण, हरनारायण व हरिनारायण तीनों नाम एक ही व्यक्ति है। जिसका सही नाम हरिनारायण पुत्र पांचू बैरवा है। अतः नारायण व हरिनारायण के स्थान पर हरिनारायण पुत्र पांचू बैरवा किया जाना उचित है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी खाता संख्या 162 कुल किता 4 कुल रकबा 0.73 है0 ग्राम कल्याणपुरा, खाता संख्या 38 कुल किता 13 कुल रकबा 1.53 है0 ग्राम कल्याणपुरा, खाता संख्या 107 कुल किता 5 कुल रकबा 1.44 है0 ग्राम गुदलियां, खाता संख्या 92 कुल किता 8 कुल रकबा 1.64 है0 ग्राम गुदलियां, खाता संख्या 59 कुल किता 1 कुल रकबा 2.15 है0 ग्राम गोपालपुरा, खाता संख्या 57 कुल किता 3 कुल रकबा 2.12 है0 वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील उनियारा मे जिला टोंक में प्रार्थी का नाम नारायण पुत्र पाचू, हरनारायण पुत्र पाचू दर्ज है। तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 2 मे वर्णित व्यक्ति नारायण, हरनारायण व हरिनारायण तीनों नाम एक ही व्यक्ति है। नारायण व हरिनारायण के स्थान पर हरिनारायण पुत्र पांचू बैरवा किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह खाता संख्या 162 कुल किता 4 कुल रकबा 0.73 है0 ग्राम कल्याणपुरा, खाता संख्या 38 कुल किता 13 कुल रकबा 1.53 है0 ग्राम कल्याणपुरा, खाता संख्या 107 कुल किता 5 कुल रकबा 1.44 है0 ग्राम गुदलियां, खाता संख्या 92 कुल किता 8 कुल रकबा 1.64 है0 ग्राम गुदलियां, खाता संख्या 59 कुल किता 1 कुल रकबा 2.15 है0 ग्राम गोपालपुरा, खाता संख्या 57 कुल किता 3 कुल रकबा 2.12 है0 वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील उनियारा मे जिला टोंक में प्रार्थी का नाम नारायण पुत्र पाचू, हरनारायण पुत्र पाचू के स्थान पर हरिनारायण पुत्र पांचू दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। अगर इससे किसी वित्तिय या अन्य किसी संस्था का कोई हित प्रभावित होता है तो सम्बन्धित संस्था को प्रार्थी स्वयं सूचित करेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 06.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, उनियारा